Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Choudhary Campus, Near Durga Petrol Pump, Dahod Road, Thikariya, Banswara
Email:-rorpcbbanswara2021@gmail.com www.environment.rajasthan.gov.in

No.: RPCB / RO Banswara/ PH- 27/737 - 742 Date: 29.02.2024

Registered Post/E-mail

The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Room No. 11, Aravali Bhawan,
Jhalana Institutional Area,
Jaipur, Rajasthan
Email- seiaams2021@gmail.com

Sub:- Public hearing for Environmental Clearance of Shri Malay Gori, Fluorite mining cluster (M.L. No. 01/1992, Area 5.00 Hect., Production capacity 40269.6 TPA (Fluorite Mineral – 3386.9 TPA, and waste/OB – 36882.7 TPA) location: N/v– Nayagaon, Tehsil – Dungarpur, District – Dungarpur (Rajasthan).

Ref:- 1. District Collector letter No. 1928 dated 14.12.2023.
2. Public Hearing conducted on dated 06.02.2024.

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 06.02.2024, 11.30 AM at village Nayagaon Tehsil & District – Dungarpur for Environmental Clearance of Shri Malay Gori, Fluorite mining cluster, M.L. No. 01/1992, Area 5.00 Hect., Production capacity 40269.6 TPA (Fluorite Mineral–3386.9 TPA, and waste/OB–36882.7 TPA) location: N/v– Nayagaon, Tehsil – Dungarpur, District – Dungarpur (Rajasthan)

A copy of attendance sheet, DVD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

Encl: As above.

(Ravi Chandel)
Regional Officer

Copy to:-

(1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
(2) District Collector, Dungarpur
(3) Sub-Divisional Office, Dungarpur
(4) In-charge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
(5) Shri Malay Gori S/o Shri Pavan Kumar Gori, R/o Ward no.-28, Jaihind Nagar, Street no.-3, Nai Basti, Dungarpur, Tehsil & Dist.- Dungarpur.

Regional Officer

श्री मलय गोरी फ्लोराईट माईनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 06.02.2024 प्रातः 11:30 बजे, ग्राम–नयागॉव, तहसील–डुंगरपुर, जिला–डुंगरपुर

पर्यावरणीय जन–सुनवाई के कार्यवृत (Minutes)

श्री मलय गोरी फ्लोराईट क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट, एम.एल.न. 01/1992 दिनांक 06.02.2024, समय प्रातः 11:30 बजे को आयोजित जन–सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

स्थानः– ग्राम–नयागॉव, तहसील–डुंगरपुर, जिला–डुंगरपुर

पर्यावरणीय जनसुनवाई में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई–

1. **श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर, जिला–डुंगरपुर**
2. **श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा**
3. **श्री कन्हैया लाल पाटीदार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा**

जन सुनवाई श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा की उपस्थिति में श्री मलय गोरी फ्लोराईट क्लस्टर माईनिंग प्रोजेक्ट कि खनन परियोजना, एम.एल.न. 01/1992 की जन सुनवाई दिनांक 06.02.2024 समय प्रातः 11:30 बजे स्थान ग्राम–नयागॉव, तहसील–डुंगरपुर, जिला–डुंगरपुर (राजस्थान) में आयोजित हुई।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर की अध्यक्षता एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जन सुनवाई के संबंध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसुचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानो के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार प्रातःकाल एवं द इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 30.12.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.02.2024 को आमजन की सूचना जन सुनवाई की तारीख, स्थान के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई **श्री मलय गोरी** द्वारा प्रस्तावित फ्लोराईट खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 01/1992, लीज क्षेत्र 5.00 हैक्टेयर, प्रस्तावित फ्लोराईट उत्पादन क्षमता 40269.6 TPA (ROM) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.00 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 40269.6 TPA (ROM) निकट नयागॉव, तहसील–डुंगरपुर, जिला–डुंगरपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 2.20 करोड है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/ शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमे आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/ शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमे दे सकते है।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/ शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को संदर्भ की शत

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

(TOR) दिनांक 31.03.2021 को इस कमेटी द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "1" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (कोन्गनीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्रा. लि., नोयडा) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "2" के अनुसार है।

कार्यकारी सारांश/ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है :–

श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर – खनन की स्वीकृति मिलेगी तो उसके एवज में कंपनी क्या काम करेगी। ये सारी चीजे अभी आपको बताई गई। आप सब ने सुनी होगी। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई आपत्ति है, कोई समस्या है तो वो आप निःसंकोच होकर बता सकते हो। आप सभी अपने मत, अपनी समस्या, अपना सुझाव, आपकी कोई डिमाण्ड हो तो वह सारी बाते अभी यहॉ रख सकते हो।

रामलाल पाटीदार, ग्रामवासी, नयागॉव– हमारी लीज में स्थित खातेदारी भूमि में खनन होगा उससे हमे क्या लाभ होगा। खाते वाली भूमि होने पर मुआवजा अवश्य मिलें।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

प्रतिनिधि, पर्यावरणीय सलाहाकार – लीज में स्थित खातेदारी भूमि में खनन से पूर्व प्रत्येक खाताधारक से एवं ग्राम पंचायत से अनुमति मिलने के पश्चात ही लीज में खनन कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

रामलाल पाटीदार, ग्रामवासी, नयागॉव– पशु चरे के बराबर में है कुछ जमीन। उसमें से भी यदि हमारी जमीन बिगडेगी तो गांव के लोगो को कोन सा फायदा होगा कि उनको रोजगार मिलेगा कि नही मिलेगा।

श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर –गांव के लोगो का फायदा होगा, इन्होने आपको एक बुकलेट दी है तो पढ सकते हो तो पढिये और यदि नही तो अगर आपको पढने में समस्या है तो आपको बोलकर बता देंगे। ठीक है। पहला तो यह कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे। तो इसमें उपाय में है जैसे मिट्टी उड़ती है तो उसको नियंत्रित करने के लिये उपाय किये जायेगें और पानी का छिड़काव किया जायेगा, गंदगी हटाई जायेगी और पेड–पौधे लगाये जायेंगे फिर जल की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किया जायेगा फिर पानी की जांच की जायेगी कोई इसमें गडबडी तो नही हो रही है। फिर प्रदूषण नियंत्रण के मानक स्तर है खनन उतना ही किया जायेगा उससे ज्यादा नही किया जायेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको आप पढ भी सकते है। आपको एक बुकलेट दी गई है। उसमें आप पढ सकते है। फिर वृक्षारोपण है, खनन पट्टे के चारो और तेतीस परसेंट हिस्से में पेड लगाये जायेंगे और ये तीन वर्षो के अंदर–अंदर लगाये जायेंगे। एक दिन में तो लगेगे नही। फिर आधारभुत संरचना के विकास के लिये पानी की टंकीयो का निर्माण है, सार्वजनिक शौचालय है, वर्षा जल संचयन संरंचनाओ का निर्माण है, जरूरतमंद लोगो को कम्बल, कपडे वगेरह देना है। स्कूल में किताबे है, स्टेशनरी है, पंखा, ट्युबलाईट, कम्प्युटर आदि इस तरह की चीजे है। स्कूलों में खेल किट देना है। आपातकाल पर एम्बुलेन्स प्रदान करना है। फिर पर्यावरण के लिये अभी मेने बता ही दिया है। ये खुद लगायेगें पेड वो अलग है। लेकिन आपको खुद को भी पेड पोधें दिये जायेगे, जिसको आप अपने घर के चारो और, अपनी ग्राम पंचायत में,

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

अपनी सार्वजनिक भूमि में लगा सकते है। और इसके लिये बजट दिया हुआ है। किसमें कितना खर्चा करेंगे वो सारा इसमें लिखा हूआ है। वायु प्रदूषण नियंत्रण में 2,33,000 है, जल प्रदूषण में 3,50,000 है, हरित पट्टी विकास में 9,37,000 है। इसी तरह सरकारी स्कूल में 1,40,000 है। ये सारा इसमें आवंटन है। और इसमे आवर्ती लागत मे हर साल 5 परसेंट की वृद्धि करेंगे।

मलय गौरी, खनन पट्टेदार –गांव में रोजगार मिलेगा सर।

श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर –रोजगार तो माईनिंग में जो जिस काम के लायक होगा उनको वैसा रोजगार मिलेगा। आपके ट्रेक्टर है, आपकी गाड़िया है, आपके लेबर है या लेबर के उपर काम करने वाले वेसे योग्य है।

मलय गौरी, खनन पट्टेदार –जितने हो सके तो उतने गांव के लोगों को रोजगार देंगे जैसे कोई ड्राईवर है उनको रोजगार मिलेगा तो गांव का फायदा होगा। सबसे पहले गांव के लोगो को ही रोजगार दिया जायेगा।

दिनेश कुमार पाटीदार, ग्रामवासी, नयागॉव – बार–बार पूछने का कारण यह है कि खनन पट्टेदार ने खनन कार्य के लिए ठेकेदार को स्वीकृति दे दी आपने और स्वीकृति मिल गई। और ठेकेदार मान लो हो सकता है अन्य जिले का हो। जैसे गंगानगर का हो। बाहर के डिस्ट्रीक्ट आउटऑफ एरिया से हो तो वो अपना आदमी लेकर इधर आयेगा और जैसे की परमिशन हमने दे दी और हो गई बात और वो लेबर लेकर, अपने मजूदर लेकर वहा से आयेगा। इसके लिये बार–'बार पूछने का संकोच ये हुआ इसलिये पूछ रहे है।

श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर – में आपको बता दू, होता ये है कि जैसे कि इनको ड्राईवर चाहिये 20 गाडी चलाने वाले अब आपके 8 ही अवलेबल है और 8 मे से 6 अच्छी जानते हो और 2 वेसे ही टेम्परी उनके पाई लाईसेंस नही है। बिना लाईसेंस के तो ये रखेंगे नही तो फिर तो वो आदमी बाहर से लायेंगे ही।

रवि चंदेल क्षेत्रिय अधिकारी –ओर भी कोई, राय है अपनी, कोई बोलना चाहे तो बोल सकते है अभी। कोई बताना चाहे तो बता सकते है।

उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर –आप ये इसकी कॉपी ले सकते हो और ये इसमें ये सब लिखित में है कि ये क्या काम करेगे आप लोगो के लिये तो उसके लिये आप समयबद्ध रूप से बोल भी सकते हो कि भई ये आपने लिखित में दिया था और ये काम आपने नही किया। ठीक है न। इसकी कॉपी आप ले सकते हो। और जो भी काम इसमें लिखा हुआ है वो नियमानुसार ही होगा। ऐसा नही है कि आप कह दो कि कि आज कर लो तो आज सम्भव नही होगा।

रवि चंदेल क्षैत्रिय अधिकारी –अब कोई नही है तो हम लोग इस जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा करे।

सभी आपस में वार्तालाप करने लगे कि (अपने तो अपने लोगो को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले)

रवि चंदेल क्षैत्रिय अधिकारी –रोजगार के लिये इन्होने आश्वासन दिया है।

श्री नीरज मिश्र, उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर – मुख्य बात यह है कि रोजगार मिलना चाहिये। और आपका जो यहॉ हॉस्पिटल है, स्कूल है उसमें सुविधाएं बढनी चाहिये। ठीक है ना। और जो खनन होगा उसका प्रदूषण आपके गांव तक नही फेले, उसके चारो और हरि पट्टी बन जाये, पेड–पौधे लग जाये और अगर रेत उडती है तो उसको पानी से बैठाया जायेगा। मेन मुद्दा यही है। इसकी पालना अक्षरशः इनके द्वारा की जायेगी। समय–समय पर जांच की जायेगी। नही कि जायेगी तो प्रशासन बैठा है।

अंत में क्षेत्रीय अधिकरी द्वारा घोषणा कि गई कि जन सुनवाई आप सभी की उपस्थिति में संपन्न की जाती है।

धन्यवाद।

(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा

(श्री नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर,
जिला– डूंगरपुर

श्री ~~मलाई~~ "मलय" गोरी, फ्लोराईट माईन्स, (एम.एल. सं. 01/1992, क्षैत्रफल–5.00 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 40269.6 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित फ्लोराईट उत्पादन क्षमता 40269.6 TPA निकट ग्राम नयागॉव, तहसील–डुंगरपुर, जिला–डुंगरपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 06.02.2024 को प्रातः 11:30 बजे, ग्राम नयागॉव में श्री मलाई गोरी, फ्लोराईट माईन्स, ग्राम नयागॉव, तहसील–डुंगरपुर, जिला–डुंगरपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Neeraj Mishra	SDM Dungarpur	[signature]
2.	Ravi Kumar chandel	Pollution Control Board	[signature]
3.	DEVILAL GARG	TDR DOVDA.	[signature]
4.	Rajesh Parmar	Sarpanch Pohtli	[signature]
5.	Kamraj lal Patida	JEE, RO, RPCB, Banswara	[signature]
6.	Anmol UPADHYAY	PA SDM DPR	[signature]
7	Ramlal Patidar	Nayagam Purali	[signature]
8	[illegible]		
9	[illegible] पाटीदार		[signature]
10	[illegible]	[illegible]	[signature]
11	[illegible]	[illegible]	[signature]
	[illegible] - पाटीदार	नयागांव	[signature]
13	[illegible] पाटीदार	नयागांव	[signature]
14	दीपक कुमार पाटीदार	नयागांव	[signature]
15	[illegible] पाटीदार	नया गांव	[signature]
16	भोगजी आहारी	नया गांव	[signature]
17	पवन कुमार	डुंगरपुर [illegible]	[signature]

स.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	मावजी पाटीदार	पंचायत नयागाँव	[illegible]
20	गणेशलाल नगोय	कानजी नयागाँव	गणेश
21	निलेश पाटीदार	कोदरजी नयागाँव	निलेश
22	हरिश कुमार	पुनाली	हरिश
23	विकास	[illegible]	विकास
24	रमेश अहारी	नयागाँव	रमेश
25	भूपेन्द्र [illegible]	नयागाँव	[illegible]
26	सन्तोष कुमार अहारी	नयागाँव	[illegible]
27	देवीलाल ननोमा	नयागाँव	[illegible]
28	निलेश कटारा	बाँसवाड़ा	निलेश
29	प्रांशु श्रीमाल	डूंगरपुर	[illegible]
30	प्रियदर्शनी चौहान	राजस्व विभाग (ILR)	[illegible]
31	हितेश कुमार पाटीदार	राजस्व विभाग पटवारी पुनाली	[illegible]
32	संगीता पाटीदार	पुनाली	Sangeeta
33	[illegible]	नयागाँव	[illegible]
34	जानवी	नयागाँव	[illegible]
35	जिनल	नयागाँव	[illegible]
36	दीक्षा	नयागाँव	Diksha
37	अंकित	नयागाँव	अंकित
38	रोशनी	नयागाँव	[illegible]
39	कुशाग्र जैन	पुनाली	[illegible]
40.	कुणाल खटीक	उदयपुर Cognizance	[illegible]
41.	माधुरी	नयागाँव	माधुरी
42.	Dal Chand	Udaipur	[illegible]

43	Kaynat Aazem	CRIPL, Udaipur	[illegible]
44	मुकेश मेनारिया	उदयपुर	Mukesh